



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpcfddevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-13/2016- 639 दिनांक : 13.05.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी  
वन प्रमंडल, हजारीबाग/ चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन  
प्रमंडल, चतरा/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/गढ़वा उत्तरी वन  
प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी  
प्रमंडल, गढ़वा ।

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में  
कार्यान्वित की जाने वाली पुनर्नामित "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण  
(पुरानी पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए  
विशेष घटक योजना) के अंतर्गत पंचायत भवनों में गैबियन वृक्षारोपण, स्कूल  
कॉलेजों एवं सरकारी संस्थानों में बाँस गैबियन वृक्षारोपण, लम्बे पौधों का  
वृक्षारोपण एवं लौह गैबियन वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए  
कुल **रु0 55.434 लाख (पचपन लाख तैंतालीस हजार चार सौ रुपये)**  
मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

**प्रसंग:-**

वन विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-04/यो0बजट-26/2016-14/ स्वी0 व0प0  
दिनांक 24.06.2016 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-  
26/2016-08/आ0 व0प0 दिनांक 04.04.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-  
वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के  
लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना के  
अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत प्राप्त आवंटन से कुल **रु0 55.434 लाख**  
**(पचपन लाख तैंतालीस हजार चार सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित  
इकाईयों में किया जाता है:-

*(Handwritten signature)*

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789590103	53.511
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789590323	1.923
कुल :-		55.434

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 (क) से (घ)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क) से (ग)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19S240601789590103 तथा पी0 19S240601789590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसका प्रमण्डलवार समेकित प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
9. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी। वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाये।
12. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01/यो0बजट-13/2016— 639 दिनांक— 13.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01/यो0बजट-13/2016— 639 दिनांक— 13.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा/कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/ कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/कोषागार पदाधिकारी, चतरा/कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/ कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01/यो0बजट-13/2016— 639 दिनांक— 13.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची/ उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत पंचायत भवन की पूर्णता/ कार्यशिलता के प्रत्येक पंचायत में 10 बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	पंचायत भवन की पूर्णता/ कार्यशिलता की स्थिति	भौतिक लक्ष्य बाँस गैबियन (संख्या में)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
					मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
					264.39	9.50	273.89
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	89	890	2.353	0.085	2.438
2	कोडरमा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	83	830	2.194	0.078	2.272
3	पलामू	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	102	1020	2.697	0.097	2.794
4	चतरा	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	40	400	1.058	0.038	1.096
4	चतरा	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	40	400	1.057	0.038	1.095
योग :-			354	3540	9.359	0.336	9.695

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत प्रत्येक स्कूल, कॉलेज एवं अन्य सरकारी संस्थानों में बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य बाँस गैबियन (संख्या में)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				264.39	9.50	273.89
i	ii	iii	v	vi	vii	viii
1	गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	1000	2.644	0.093	2.737
2	कोडरमा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	500	1.322	0.048	1.370
3	पलामू	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	1000	2.644	0.094	2.738
4	चतरा	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	500	1.322	0.048	1.370
5	चतरा	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	500	1.322	0.048	1.370
6	कोडरमा	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	500	1.322	0.048	1.370
7	हजारीबाग	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	500	1.322	0.048	1.370
8	हजारीबाग	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	500	1.322	0.048	1.370
योग :-			5000	13.220	0.475	13.695

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत सी0आर0पी0एफ0/ राज्य पुलिस/ मिलीट्री कैम्पस/ अन्य वैसे जगहों पर जहाँ चहारदिवारी एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो, लम्बे पौधों से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य बॉस गैबियन (संख्या में)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				264.39	9.50	273.89
i	ii	iii	v	vi	vii	viii
1	कोडरमा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	500	1.322	0.048	1.370
2	पलामू	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	500	1.322	0.048	1.370
3	गढ़वा	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	500	1.322	0.048	1.370
4	गढ़वा	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	500	1.322	0.048	1.370
5	चतरा	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	1000	2.644	0.095	2.739
6	चतरा	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	1000	2.644	0.095	2.739
7	हजारीबाग	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	1500	3.965	0.141	4.106
8	हजारीबाग	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	1500	3.965	0.142	4.107
योग :-			7000	18.506	0.665	19.171

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास,  
झारखण्ड राँची।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" (पुरानी- पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी) योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत लौह गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	लौह गैबियन (संख्या में)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			264.39	9.50	273.89
i	ii	iii	vi	v	vi
1	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	900	2.380	0.086	2.466
2	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	900	2.380	0.086	2.466
3	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	900	2.380	0.086	2.466
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	1000	2.644	0.095	2.739
5	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	500	1.321	0.047	1.368
6	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	500	1.321	0.047	1.368
योग :-		4700	12.426	0.447	12.873

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

## कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

## पथटट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस –गैबियन में वृक्षारोपन

1. बाँस-गैबियन का आकार: 6'-6"x2'-6"x2. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी०

– पौधे से पौधे की दूरी – 8 मी०

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस (प्रति हे०)	मजदूरी, (रु०)	सामग्री प्रति हे०	कुल व्यय (रु०)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में संपोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 229.90						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव		0.15	34.49	4.50	38.99	
2	पटवन (रिक्शा/टेला द्वारा)		0.50	114.95	5.00	119.95	
3	बाँस गैबियन का मरम्मत एवं सुरक्षा		0.50	114.95	0.00	114.95	
	योग		1.15	264.39	9.50	273.89	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास,  
झारखण्ड, राँची

## वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बिना घेरान के लम्बे पौधों का वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण)

3. मजदूरी दर- ₹0 221.61

2. स्पेसिंग- पंक्ति से पंक्ति की दूरी - 3 मी०  
पौधे से पौधे की दूरी - 5 मी०

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹0 में)	सामग्री (₹0 में)	कुल व्यय (₹0 में)
1	2	3	4	5	6	7
(A)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में संपोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 229.90					
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति पौधा	0.15	34.49	4.50	38.99
2	पटवन (रिक्शा / ठेला द्वारा)	प्रति पौधा	0.50	114.95	5.00	119.95
3	सुरक्षा	प्रति पौधा	0.50	114.95	0.00	114.95
	योग		1.15	264.39	9.50	273.89

अपर प्रधान मुख्य वन सहायक, विकास  
झारखण्ड, राँची

### वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

ोजना का नाम— पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर लोहा –गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण)

1. लोहा गैबियन का आकार: 5'x2'x2'

2. स्पेसिंग— पंक्ति से पंक्ति की दूरी — 3 मी०  
पौधे से पौधे की दूरी — 5 मी०

3. मजदूरी दर— ₹0 221.61

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹0 में)	सामग्री (₹0 में)	कुल व्यय (₹0 में)
1	2	3	4	5	6	7
(A)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में संपोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 229.90					
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	34.49	4.50	38.99
2	पटवन (रिक्शा/टेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	114.95	5.00	119.95
3	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	114.95	0.00	114.95
	योग		1.15	264.39	9.50	273.89

अपर प्रधान मुख्य धन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-13/2016/639

दिनांक - 13-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी  State Scheme : Central Scheme :	31082	GRHFWL003  SHYAM BIHARI PRASAD  DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	499,700.00  रुपये चार लाख निम्नान्वे हजार सात सौ
2	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी  State Scheme : Central Scheme :	31083	KDMFORA02  RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	483,800.00  रुपये चार लाख तिरयासी हजार आठ सौ
3	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी  State Scheme : Central Scheme :	31084	PLMFOR070  NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	904,300.00  रुपये नौ लाख चार हजार तीन सौ

1,887,800.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये अठारह लाख सित्यासी हजार आठ सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. SECRETARY, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी  State Scheme : Central Scheme :	31085	CTRFOR002  RAVINDRA NATH MISHRA  D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	502,400.00  रुपये पाँच लाख दो हजार चार सौ
5	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी  State Scheme : Central Scheme :	31086	CTRFOR003  MADHUKAR  D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	634,400.00  रुपये छः लाख चौतीस हजार चार सौ
6	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी  State Scheme : Central Scheme :	31087	KDMFORA01  MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	370,200.00  रुपये तीन लाख सत्तर हजार दो सौ

योग:

1,507,000.00

क्रमिक योग:

रुपये तैतीस लाख चौरानवे हजार आठ सौ

3,394,800.00



(SHRI SATNAM SINGH)

ADD. POST OFFICE, RAIPUR, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी  State Scheme : Central Scheme :	31088	HZBFWL009  SUSHIL SOREN  DIV. FOREST OFFICE EAST	793,100.00  रुपये सात लाख तिरनावे हजार एक सौ
8	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी  State Scheme : Central Scheme :	31089	HZBFWL005  RAJIV RANJAN  D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	528,700.00  रुपये पाँच लाख अठाइस हजार सात सौ
9	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी  State Scheme : Central Scheme :	31090	GRHFWL001  ASHOK KUMAR DUBEY  D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	132,200.00  रुपये एक लाख बत्तीस हजार दो सौ


1,454,000.00

योग:

4,848,800.00

क्रमिक योग:

रुपये अड़तालीस लाख अड़तालीस हजार अठि सौ



(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. DEPT. SECRETARY

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी  State Scheme : Central Scheme :	31091	GRHFWL004  SR ARVIND KUMAR  D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	370,200.00  रुपये तीन लाख सत्तर हजार दो सौ
11	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी  State Scheme : Central Scheme :	31092	GRDFOR003  SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	132,100.00  रुपये एक लाख बत्तीस हजार एक सौ
12	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री  State Scheme : Central Scheme :	31093	GRHFWL003  SHYAM BIHARI PRASAD  DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	17,800.00  रुपये सत्रह हजार आठ सौ

520,100.00

योग:

5,368,900.00

क्रमिक योग:

रुपये तीरपन लाख अडसठ हजार नौ सौ


  
(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. P. &amp; S. DIV. IN CHARGE

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री  State Scheme : Central Scheme :	31094	KDMFORA02  RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	17,400.00  रुपये सत्रह हजार चार सौ
14	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री  State Scheme : Central Scheme :	31095	PLMFOR070  NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	32,500.00  रुपये बत्तीस हजार पाँच सौ
15	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री  State Scheme : Central Scheme :	31096	CTRFOR002  RAVINDRA NATH MISHRA  D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	18,100.00  रुपये अठारह हजार एक सौ


68,000.00

योग:

5,436,900.00

क्रमिक योग:

रुपये चौपन लाख छत्तीस हजार नौ सौ



(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. DEPT. SECRETARY, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री  State Scheme : Central Scheme :	31097	CTRFOR003  MADHUKAR  D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	22,800.00  रुपये बाइस हजार आठ सौ
17	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री  State Scheme : Central Scheme :	31098	KDMFORA01  MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	13,400.00  रुपये तेरह हजार चार सौ
18	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री  State Scheme : Central Scheme :	31099	HZBFWL009  SUSHIL SOREN  DIV. FOREST OFFICE EAST	28,400.00  रुपये अठाइस हजार चार सौ

64,600.00

योग:

5,501,500.00

क्रमिक योग:

रुपये पचपन लाख एक हजार पाँच सौ



SHRI SATNAM SINGH

ADDL. P. S. DIVAN, RANCHI

RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	31100	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	19,000.00 रुपये उन्नीस हजार

State Scheme :

Central Scheme :

20	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	31101	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	4,800.00 रुपये चार हजार आठ सौ
----	--	-------	---	----------------------------------

State Scheme :

Central Scheme :

21	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	31102	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV. GARHWA	13,400.00 रुपये तेरह हजार चार सौ
----	--	-------	---	-------------------------------------

State Scheme :

Central Scheme :

योग:

37,200.00

क्रमिक योग:

रुपये पचपन लाख अड़तीस हजार सात सौ

5,538,700.00

  
(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. DEPT. SECRETARY, RANCHI

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	31103	GRDFOR003  SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	4,700.00  रुपये चार हजार सात सौ



State Scheme :

Central Scheme :



योग:

4,700.00

क्रमिक योग:

रुपये पचपन लाख तीरयालीस हजार चार सौ

5,543,400.00

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. P. O. GIRIDIH WEST

RANCHI